रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092025-265986
CG-DL-E-06092025-265986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3952] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947
No. 3952] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2025

का.आ. 4064(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों में ढील प्रदान की जाए;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत उत्पादकों के अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू (जिसे आगे एफसीवी तंबाकू के रूप में संदर्भित किया गया है) और अपंजीकृत उत्पादकों के अनधिकृत एफसीवी तम्बाकू की ब्रिकी तम्बाकू बोर्ड के विनिर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए, अब, तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एततद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 14ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में वर्ष 2024-25 के फसली मौसम में फसल की नीलामी के दौरान जनहित में ढील प्रदान करती है तथा पंजीकृत उत्पादकों की अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू की पैदावार तथा अपंजीकृत उत्पादकों की अनधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू की पैदावार की ब्रिकी तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर करने की अनुमति प्रदान करती है।

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(कृषि-V I)/पार्ट]

केसांग वाई. शेरपा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 4064(E).— WHEREAS, the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest to relax the restrictions imposed under the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

AND WHEREAS, the Central Government considers it necessary in the public interest to dispose of the excess Flue Cured Virginia Tobacco (hereinafter referred to as FCV Tobacco) of registered growers and unauthorized FCV Tobacco of unregistered growers at the authorised auction platforms of the Tobacco Board in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Tobacco Board Act, 1975, the Central Government in the public interest hereby relaxes the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the said Act in the State of Andhra Pradesh for the auctions during the crop season 2024-2025, and permits the sale of excess FCV Tobacco crop of the registered growers and unauthorised FCV Tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt]

KESANG Y. SHERPA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितंबर, 2025

का.आ. 4065(अ)—तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 20क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतदद्वारा तंबाकू बोर्ड को फसली मौसम वर्ष 2024-2025 के दौरान नीलामी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में अपने नीलामी प्लेटफार्मों पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू (जिसे आगे एफसीवी तंबाकू के रूप में संदर्भित किया गया है) और आंध्र प्रदेश राज्य में अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू खरीदने की अनुमति देने के लिए तंबाकू बोर्ड के पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों को अधिकृत करती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा वर्ष 2024-25 फसली मौसम के लिए अधिकृत कोटा के दस प्रतिशत तक उत्पादित अतिरिक्त एफसीवी तंबाकू के लिए उत्पादकों द्वारा देय बिक्री आय का एक प्रतिशत सामान्य सेवा शुल्क तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा वर्ष 2024-25 फसली मौसम के लिए अधिकृत कोटे के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक और 20 प्रतिशत तक उत्पादित अतिरिक्त एफसीवी तंबाकू के लिए प्रति किलोग्राम एक रुपये की राशि और बिक्री से आय का 2 प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के 1 प्रतिशत के सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर) तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा;

(ग) वर्ष 2024-25 फसली मौसम के लिए अधिकृत कोटे के 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक उत्पादित अतिरिक्त एफसीवी तंबाकू के लिए प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक द्वारा प्रति किलोग्राम एक रुपये की राशि और बिक्री से प्राप्त आय का 3 प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के 1 प्रतिशत के सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर) तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक अपंजीकृत उत्पादक द्वारा वर्ष 2024-25 फसली मौसम के लिए उत्पादित एफसीवी तंबाकू के लिए प्रति किलोग्राम एक रुपये और बिक्री से प्राप्त आय का पाँच प्रतिशत (उत्पादकों द्वारा देय आय के एक प्रतिशत के सामान्य सेवा शुल्क को छोड़कर) तंबाकू कोष में अंशदान किया जाएगा;

[फा. सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)/पार्ट]

केसांग वाई. शेरपा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2025

S.O. 4065(E)—In exercise of the powers conferred by section 20A of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to allow the registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at their auction platforms in the State of Andhra Pradesh for the auctions during crop season 2024-2025, the excess Flue Cured Virginia Tobacco (hereinafter referred to as FCV Tobacco) produced by registered growers and unauthorised FCV Tobacco produced by unregistered growers in the State of Andhra Pradesh, subject to the following conditions, namely:-

(a) a normal service charge of one per cent of proceeds of sale payable by growers shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess FCV Tobacco produced upto the extent of ten per cent of the quota authorised for 2024-25 crop season;

(b) an amount of rupee one per kilogram and two per cent of the proceeds of sale (excluding of normal service charge of one per cent of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess FCV Tobacco produced over and above the limit of ten per cent and upto twenty per cent of the quota authorised for 2024-25 crop season;

(c) an amount of rupee one per kilogram and three per cent of the proceeds of sale (excluding of normal service charge of one per cent of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess FCV Tobacco produced over and above the limit of twenty per cent of the quota authorised for 2024-25 crop season;

(d) an amount of rupee one per kilogram and five per cent of the proceeds of sale (excluding a normal service charge of one per cent of proceeds payable by growers) shall be contributed to the Tobacco Fund by every unregistered grower for the FCV Tobacco produced for 2024-25 crop season;

[F. No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)/Pt.]

KESANG Y. SHERPA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA